Printed from
नवभारत टाइम्स
Navbharat Times - Breaking news, views. reviews, cricket from across India

डीडीए का फॉर्म भरा, स्टेटस मार्च में जानें

16 Jan 2011, 0400 hrs IST

प्रमुख संवाददाता ॥ नई दिल्ली

अगर आपने डीडीए हाउसिंग स्कीम के जरिए अपना घर पाने का सपना देखा है और अप्लाई किया हैं, तो यह जानने में वक्त लगेगा कि आपका फॉर्म ठीक से डीडीए के पास पहुंचा या नहीं। ड्रॉ होने से कुछ समय पहले ही डीडीए फॉर्म की जानकारी वेबसाइट में डालेगी। गलतियां सुधारने के लिए 3-4 दिन का वक्त भी दिया जाएगा।

डीडीए की अब तक की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम में फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 24 दिसंबर थी। तीन हफ्तों का समय गुजर चुका है और डीडीए फिलहाल यही बता रहा है कि 16 हजार से अधिक फ्लैटों के लिए करीब सात लाख लोगों ने अप्लाई किया है। कितने लोगों ने जनता फ्लैट के लिए और कितनों ने दूसरे फ्लैटों के लिए अप्लाई किया है इसका हिसाब भी अभी तक नहीं लगाया जा सका है। डीडीए के अधिकारियों का कहना है कि अभी फॉर्म देखने की प्रक्रिया चल रही है। डीडीए के सूत्रों ने बताया कि हर रोज कई लोग डीडीए ऑफिस फोन कर पूछ रहे हैं कि उनके फॉर्म का स्टेटस उन्हें कब तक पता चलेगा लेकिन डीडीए के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। डीडीए के अधिकारी ने कहा कि अभी लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। मार्च के आखिरी हफ्तों में ही डीडीए वेबसाइट में इसकी जानकारी डाल पाएगा।

हर हाउसिंग स्कीम में अप्लाई करने वालों का फॉर्म नंबर डीडीए की वेबसाइट में डाला जाता है। जहां से लोग चेक कर सकते हैं कि उनका फॉर्म फ्लैट पाने की दौड़ में है या नहीं। पिछली बार की हाउसिंग स्कीमों में फॉर्म बैंकों के साथ ही डीडीए ऑफिस में भी जमा किए जा रहे थे लेकिन इस बार सिर्फ बैंकों में ही फॉर्म जमा हुए हैं। बैंकों ने डीडीए के पास सारे फॉर्म की डिटेल काफी पहले ही भेज दी है। जो फॉर्म सही पाए जाएंगे उनका नंबर डीडीए अपनी वेबसाइट में डालेगा। जिन लोगों के फॉर्म का नंबर वेबसाइट में नहीं होगा वह डीडीए से संपर्क कर पूछताछ कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्युमेंट अटैच करना छूट गया है जिसकी वजह से फॉर्म शामिल नहीं किया गया तो भूल सुधार के लिए डीडीए 3-4 दिनों का वक्त देगा। जिन लोगों ने आवेदन किया है वह बेसब्री से यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि फॉर्म सही हैं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई? लेकिन डीडीए जिस स्पीड से काम कर रहा है उससे लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

इस आर्टिकल को फेसबुक पर शेयर करें।
इस आर्टिकल को ट्वीट करें।

देश-दुनिया की खबरें विडियो में। देखने के लिए क्लिक करें।

About Us | Advertise with Us | Terms of Use | Privacy Policy | Feedback | Sitemap
Copyright © 2011 Bennett Coleman & Co. Ltd. All rights reserved. For reprint rights: Times Syndication Service
This site is best viewed with Internet Explorer 6.0 or higher; Firefox 2.0 or higher at a minimum screen resolution of 1024x768